सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

16-04-2021

थाना नगीना पुलिस द्वारा शातिर अपराधी/हिस्ट्रीशीटर वाहिद उर्फ टल्ली को 500 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तारी

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के आदेश पर अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना व प्रभारी निरीक्षक नगीना कृष्ण मुरारी दोहरे के कुशल पर्यवेक्षण मे दिंनाक 16.04.2021 को चैकिंग के दौरान उप नि0 श्री योगेश कुमार मय हमराह का0 1221 आशीष कुमार व का0 355 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम अल्हैदादपुर रोड पर टयूब वैल के पास से मुखबिर की सूचना पर समय 10.50 बजे अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र वहाब निवासी मौ0 कलालन थाना नगीना जनपद बिजनौर को अवैध 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक व वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

500 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्तगणो को नाम व पता

A.एचएस - 72 A वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र वहाब निवासी मौ0 कलालन थाना नगीना जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली

क्र.स.	आपराधिक इतिहास	धारा	थाना	जनपद
1	21615	धारा 4/25 A,Act	बढापुर	बिजनौर
2	230/15	3(1) गैंगस्टर अधि0	बढापुर	बिजनौर
3	131/16	379/411	बढापुर	बिजनौर
4	142/16	379/411	बढापुर	बिजनौर
5	448/11	379/413 भादवि	बढापुर	बिजनौर
6	469/16	3/5/8 गौवध व 11 पशु क्रूरता अधि0	नगीना	बिजनौर
7	340/17	307/379/511 /34 आईपीसी	नगीना	बिजनौर
8	426/17	3(1) गैंगस्टर अधि0	नगीना	बिजनौर
9	211/17	3(1) गुन्डा एक्ट	नगीना	बिजनौर
10	331/18	323/506 भादवि	नगीना	बिजनौर
11	160/19	392/411 आईपीसी	नगीना	बिजनौर
12	358/19	4/25 आयुध अधि0	नगीना	बिजनौर
13	59/2020	3/10 गुण्डा अधि0	नगीना	बिजनौर
14	129/2020	3/5/8 गोवध अधि0	नगीना	बिजनौर
15	164/2020	307 भा0द0वि0 पुलिस मुठभेढ	नगीना	बिजनौर
16	165/2020	3/5/8 गौवध अधि0	नगीना	बिजनौर
17	169/2020	21/22 NDPS Act	नगीना	बिजनौर
18	317/2020	3(1) गैगस्टर एक्ट	नगीना	बिजनौर
19	136/2021	21/22 NDPS Act	नगीना	बिजनौर

गिरफ्तारी टीम

1.प्रभारी निरीक्षक कृष्ण मुरारी दोहरे

2.उप नि0 श्री योगेश कुमार

3.का0 1221 आशीष कुमार

4.का0 355 धर्मेन्द्र सिंह

<u>थाना मण्डावलीः—</u> दिनांक 15.04.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1— सनोज पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम स्वाती वाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 25 पव्वे अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 67/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम 2— राकेश पाल पुत्र खडक सिंह निवासी ग्राम श्याम थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 25 पव्वे अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 68/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हीमपुरदीपाः— आज दिनांक 16.04.2021 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तगण धीरज व तपेन्द्र पुत्रगण रणधीर सिंह, पावेन्द्र पुत्र रामचन्द्र, यशदेव सिंह पुत्र राधेश्याम, बाबूराम पुत्र मनहोरी, अमित पुत्र बाबूराम समस्त निवासीगण ग्राम फतेहपुर कला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः— आज दिनांक 16.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1— ताहिर पुत्र सगीर अहमद 2— गुलबहार पुत्र ताहिर निवासीगण ग्राम गेंदा जोड थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना स्योहाराः–</u> आज दिनांक 16.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त निहाल अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी मौहल्ला हकीमपुरा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 975 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 219/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना मण्डावलीः–</u> आज दिनांक 16.04.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र घसीट सिंह निवासी बादशाहपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 03 पेटी अवैध शराब फाइटर मार्क सहित गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 86/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

दिनॉक 16.04.2021

आज दिनांक 16.04.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा गया व उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।